

न्यायालय, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

हिन्दू विवाह अधिनियम प्र०क्र० 31/2015

संस्थापन दिनांक 18.06.2015

श्रीमती अमिता शुक्ला पत्नी गोविन्द प्रताप, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड न० 6 कोट का कुआ, हाल निवासी वार्ड न० 2 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०	आवेदिका
---	---------

॥ विरुद्ध ॥

गोविंदप्रताप पुत्र मोहनलाल शुक्ला, उम्र 36 वर्ष, निवासी कोट का कुआ वार्ड न० 6 गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०	अनावेदक
---	---------

आवेदिका द्वारा – श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता
अनावेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

नि-र्ण-य

(आज दिनांक 05/07/2017 को पारित किया गया)

01. आवेदिका की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अनावेदिक से हुए विवाह को विच्छेद कराने के संबंध में प्रस्तुत की है।
02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ वर्ष 2005 में सम्पन्न हुआ था एवं उनके संसर्ग से एक पुत्र कृष्णा का जन्म हुआ है।
03. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ वर्ष 2005 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था और विवाह के पश्चात् आवेदिका अनावेदक के साथ अपनी ससुराल में रही और दोनों के संसर्ग से एक पुत्र कृष्णा का जन्म हुआ। विवाह में आवेदिका के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 80,000/- रूपए नगद, तीन तौला सोना, एवं अन्य घरेलू सामान दिया। शादी के कुछ समय बाद अनावेदक

एवं उसके परिवारजन आवेदिका से दहेज में एक लाख रूपए की मांग करने लगे और उसके साथ कूरता का व्यवहार करने लगे। आवेदिका का अपनी ससुराल वालों द्वारा कूरता व मानसिक क्लेश के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया और उसका इलाज ससुराल वालों ने नहीं कराया और इलाज का कहने पर सास द्वारा हसिया से मारपीट की गई। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा दिनांक 14.06.2009 को थाना में गई थी। अनावेदिक मानसिक पीड़ित है वह आवेदिका के साथ कोई भी अप्रीय घटना घटित कर सकता है। अनावेदक के मानसिक विक्षिप्त होने की जानकारी आवेदिका व उसके परिवार वालों से छुपाकर उसकी शादी आवेदिका से करा दी गई। अनावेदक व उसके परिजन उसे लाने नहीं आए और अनावेदक ने उसके अपने साथ रखने से इन्कार दिया है। आवेदिका का अनावेदक के साथ रहना संभव नहीं है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार कर उसके पक्ष में आज्ञाप्ति पारित करने की प्रार्थना की है।

04. अनावेदक द्वारा उक्त याचिका के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष कथनों को इन्कार करते हुए निवेदन किया है कि उसकी शादी आवेदिका के साथ बिना दान दहेज के हुई थी और आवेदिका के पिता किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं दिया था। अनावेदक व उसके परिजनों द्वारा आवेदिका से कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की है और न ही उसकी मारपीट कर उसके प्रति करता कारित है। आवेदिका द्वारा शादी के बाद से ही छोटी छोटी बातों पर अनावेदक एवं उसके माता पिता से झगडा करती थी और अनावेदक को कहीं अन्य जगह चलकर उसके साथ रहने को कहती थी। दिनांक 26.05.2009 को स्वयं चली गई, दिनांक 14.06.09 को झूठी रिपोर्ट की गई है। आवेदिका के द्वारा उक्त वर्ताव एवं क्लेश के कारण अनावेदक मानसिक रूप से परेशान हो गया और मानसिक रोगी होकर अवसादग्रस्त हो गया जिसका वर्तमान में इलाज चल रहा है। अनावेदक द्वारा कई बार आवेदिका को लाने का प्रयास किया, किन्तु वह नहीं आई तब अनावेदक द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की है।

05. प्रकरण में आवेदिका के अधिवक्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता एवं

अनावेदक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता को सुना गया। आवेदिका की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आवेदिका स्वयं अमिता शुक्ला आ०सा० 1, ग्याप्रसाद आ०सा० 2 एवं अनावेदक की ओर से श्री लाडले मोहनलाल शुक्ला अना०सा० 1 का कथन कराया गया है।

06. प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिनका निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके समक्ष अंकित किया जा रहा है :-

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या आवेदिका के साथ अनावेदक के द्वारा कूरता का व्यवहार किया जा रहा है?	
2	क्या अनावेदक के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदिका का परित्याग किया गया?	
3	क्या आवेदिका अनावेदक से विवाह विच्छेद करा पाने की अधिकारिणी है?	
4	सहायता एवं व्यय?	

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के संबंध में निष्कर्ष :-

07. आवेदिका की ओर से प्रमुख रूप से अपनी याचिका में यह आधार लिया गया है एवं इस संबंध में आवेदिका की ओर से आवेदिका अमिता शुक्ला आ०सा० 1 एवं साक्षी ग्याप्रसाद आ०सा० 2 के कथन रहे हैं कि विवाह में आवेदिका के मायके वालों ने हैसियत अनुसार दहेज दिया था, किन्तु शादी के कुछ समय पश्चात् अनावेदक के परिवार वाले दहेज की मांग करने लगे और कहते थे कि एक लाख रूपए दहेज में लेकर आओ तभी घर में रखेंगे नहीं तो निकाल देंगे और इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे, उसे खाना नहीं देते थे तथा कूरता का व्यवहार करते थे।

08. साक्षी अमिता शुक्ला आ०सा० 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि विवाद के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। उसने अपनी सास से इलाज के लिए पैसे मांगे तो अनावेदक की माँ उसे पीटने लगी और हसिया उठाकर उसे मारा, बचाव करने पर हसिया उसके हाथ में लगा जिससे उसका हाथ कट गया था। तत्पश्चात् उसे घर से निकाल दिया था, जिसकी उसने रिपोर्ट 14.09.2009 को की थी।

09. आवेदिका द्वारा प्रमुख रूप से अनावेदक के विरुद्ध दहेज मांगने एवं दहेज न मिलने पर मारपीट करने का आरोप अपने कथनों में लगाया है।

10. अनावेदक की ओर से अपने तर्कों के दौरान यह आधार लिया है कि आवेदिका स्वयं विवाद करती है। दहेज जैसी कोई बात नहीं है, जब कि अनावेदक आवेदिका को आज भी रखने को तत्पर है। इस संबंध में अनावेदक की ओर से मजिस्ट्रेट न्यायालय में चली कार्यवाही के दौरान इस आशय का लिखित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। आवेदिका स्वयं पत्नी धर्म का पालन न करते हुए अनावेदक से प्रथक होना चाहती है।

11. उभय पक्ष की ओर से किए गए आधार के संबंध में यदि उभय पक्ष की साक्ष्य का विवेचन किया जाए तो आवेदिका ने अनावेदक पर दहेज की मांग करने एवं दहेज के लिए मारपीट करने संबंधी आरोप लगाए हैं, किन्तु यदि साक्षी अमिता शुक्ला आ०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शादी के पहले दान दहेज की कोई बात नहीं हुई थी और विवाह राजी खुशी से हुआ था। इस तथ्य को साक्षी ग्याप्रसाद आ०सा० 2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है।

12. आवेदिका साक्षी अपने कथनों में अनावेदक एवं उसके परिवार के द्वारा दहेज के लिए मांग तथा मारपीट संबंधी कथन करते हैं। यहाँ तक कि आवेदिका साक्षियों का यह भी कहना रहा है कि उन्होंने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट की थी, किन्तु अनावेदक अथवा उसके परिजनों के द्वारा आवेदिका के साथ कोई मारपीट की गई, इस आशय की कोई रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को दी गई, कोई आवेदन की प्रति इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। निश्चित रूप से वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में जहाँ कि आवेदिका अपनी ससुराल गोहद में होना अभिकथित

करती है जो कि एक बड़ा कस्बा है। निश्चित रूप से यदि आवेदिका के साथ किसी प्रकार की मारपीट या कूरता का व्यवहार किया जाता जैसा कि आवेदिका साक्षी अभिकथित करते हैं, तब ससुराल के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को अवश्य जानकारी होती, किन्तु इस संबंध में आवेदिका साक्षी अमिता शुक्ला, ग्याप्रसाद के अतिरिक्त प्रस्तुत नहीं किये गए हैं जो कि आवेदिका के कानिों की पुष्टि कर सकें।

13. निश्चित रूप से जैसा कि आवेदिका साक्षी आवेदिका को अनावेदक एवं उसके परिवार द्वारा गंभीर कूरता कारित करने संबंधी कथन करते हैं तब आवेदिका द्वारा इस संबंध में अवश्य रिपोर्ट की जाती जैसा कि आवेदिका अभिकथित करती है। आवेदिका द्वारा दिनांक 14.06.2009 की प्रति पेश न किये जाने का कोई कारण भी अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है, किन्तु यदि इस संबंध में साक्षी ग्याप्रसाद आ०सा० 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने कथनों स्पष्ट स्वीकार किया है। जैसा कि आवेदिका साक्षी पंचायत होने और पंचायत में समझाइश देने संबंधी कथन करते हैं उसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साथ ही कोई रिपोर्ट भी उनके द्वारा थाने में नहीं की गई थी।

14. ऐसी स्थिति में प्रकरण में कूरता के संबंध में आवेदिका के कथनों की सत्यता की संभावना के संबंध में रिकार्ड पर अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

15. अनावेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि आवेदिका स्वयं के व्यवहार के कारण अनावेदक की मानसिक स्थिति खराब हो गई और अब जब कि अनावेदक की मानसिक स्थिति खराब हो गई है आवेदिका अनावेदक से पीछा छुड़ाना चाहती है और इसी कारण मिथ्या कार्यवाहीयों अनावेदक के विरुद्ध प्रारंभ की है।

16. आवेदिका की ओर से अपने आवेदन में यह आधार भी लिये हैं कि अनावेदक का मानसिक आरोग्यशाला में इला चलता था, वह मानसिक रूप से विछिप्त था और इसकी जानकारी अनावेदिका के पिता द्वारा गुप्त रखकर आवेदिका के साथ बिना बताए शादी करा दी गई, जबकि अनावेदक की ओर से अपने बचाव में स्पष्टतः आवेदिका के व्यवहार व आचरण के कारण अनावेदक के मानसिक रोग होने संबंधी आधार लिए गए हैं।

17. प्रकरण में अनावेदक की ओर से इस तथ्य को स्वीकार भी किया गया है और साथ में इस संबंध में आवेदिका की ओर से प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 6 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो कि अन्य न्यायालय में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज हैं, जिनमें अनावेदक को मानसिक रोगी होकर ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में इलाज कराने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य पर अब कोई विवाद नहीं रहा है कि वर्तमान में आवेदक मानसिक रोगी हैं

18. प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अनावेदक विवाह के पूर्व मानसिक रोगी था अथवा क्या विवाह के पश्चात् जैसा कि अनावेदक की ओर से आधार लिया है अनावेदक मानसिक रूप से विछिन्न हुआ?

19. उक्त संबंध में यदि आवेदिका के कथनों का अवलोकन किया जाए जो कि विवाह के पश्चात् लगभग चार वर्ष अनावेदक के साथ पत्नी के रूप में रही। साक्षी अमिता शुक्ला आ०सा० 1 का प्रतिपरीक्षण में यह कहना रहा है उसे प्रथम बार जब पति के मानसिक रूप से विछिन्न होने की जानकारी न्यायालय में भरण-पोषण का प्रकरण चलने के दौरान दस्तावेज पेश करने पर हुई थी। जबकि इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह करीब सात महीने अपनी ससुराल में रही थी। यदि इस संबंध में साक्षी ग्याप्रसाद आ०सा० 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में स्वीकार करना रहा है कि उसे शादी के दो वर्ष बाद इस बात की जानकारी मिली थी कि अनावेदक मानसिक रोगी है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जो कि मानसिक रोगी है सहज ही सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति यह समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे मानसिक रोगी का व्यवहार एवं आचरण असामान्य होता है, किन्तु यहाँ पर आवेदिका एवं आवेदिका के पिता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विवाह के पश्चात् उन्हें अनावेदक के मानसिक रोगी होने का पता दो वर्ष पश्चात् उस समय चला जब कि भरण-पोषण के प्रकरण में अनावेदक की ओर से मानसिक रोगी संबंधी दस्तावेज पेश किए गए।

20. आवेदिका की ओर से प्र.पी. 1 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के समक्ष संचालक ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला म०प्र० का पत्र है,

जिसमें अनावेदक का इलाज चला है। उक्त प्र.पी. 1 की प्रति में प्रथम बार 14.02.2010 से अंतिम तिथि 24.02.2014 तक मानसिक आरोग्य शाला में अनावेदक के इलाज होने संबंधी तथ्य का उल्लेख है। उसके पूर्व अनावेदक का मानसिक रोग का कोई इलाज हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज आवेदिका की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21. ऐसी स्थिति में जहाँ तक आवेदिका विवाह के पूर्व अनावेदक के मानसिक रोगी होने संबंधी कथन करती है आवेदिका के समर्थन के लिए रिकार्ड पर साक्ष्य इसके विपरीत है। प्रस्तुत दस्तावेज जो कि आवेदिका स्वयं की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं अनावेदक के प्रथम बार मानसिक रोगी का इलाज वर्ष 2010 से कराये जाने के तथ्य की पुष्टि करता है। आवेदिका साक्षियों का स्वयं का यह कहना रहा है कि उन्हें स्वयं इस बात की जानकारी थी कि आवेदक मानसिक रोगी है। अनावेदक की ओर से भरणपोषण के प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी आवेदिका साक्षियों की उक्त स्वीकारोक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि जितने समय आवेदिका अनावेदक के साथ रही अनावेदक का व्यवहार आवेदिका के साथ किसी मानसिक रोगी की तरह नहीं था यदि होता तो निश्चित रूप से एक मानसिक रोगी का व्यवहार सामान्य व्यक्ति से प्रथक दिखाई देता है और यह बात आवेदिका एवं आवेदिका के परिजन आवश्यक रूप से जान लेते। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से आवेदिका के इन कथनों की पुष्टि नहीं होती है कि अनावेदक विवाह के पूर्व से ही मानसिक रूप से विछिप्त था।

22. प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदिका के प्रति क्रूरता की गई। प्रकरण में उपलब्ध तथ्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वर्ष 2010 से अनावेदक मानसिक रूप के बीमार है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अनावेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि उभय पक्ष के मध्य आई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक भी अब आवेदिका के साथ रहना नहीं चाहता है और उनका साथ रह पाना संभव नहीं है और अनावेदक की ओर से याचिका के उत्तर के चरण क्रमांक 9 में आवेदिका के आवेदनपत्र को स्वीकार कर विवाह विच्छेद की आज्ञा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है। इस संबंध में यदि अनावेदक साक्षी लालू मोहनलाल शुक्ला के मुख्य परीक्षण का अवलोकन किया जावे जो

कि अनावेदक जो कि मानसिक रूप से विछिन्न है की ओर से उपस्थित हुआ है, इस आशय के कथन रहे हैं कि उसे एवं उसके परिवार को एवं अनावेदक को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अनावेदक का आवेदिका के साथ जीवन यापन संभव नहीं है। साथ ही अंतिम तर्कों के दौरान भी अनावेदक द्वारा आवेदिका की याचिका स्वीकार कर विवाह विच्छेदित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

23. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य जिस प्रकार की कटुता बढ़ गई है और गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं और दोनों ही पक्षों ने विवाह को विच्छेदित किये जाने की प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से लिए गए आधारों के साबित न होते हुए भी प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवाह विच्छेद की आज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

24. आवेदिका की ओर से धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदनपत्र अपने एवं अपने अवयस्क पुत्र के लिए जीवन निर्वाह के लिए एकमुस्त 10,00,000/- रूपए एवं मासिक 10,000/- रूपए दिलाए जाने की प्रार्थना की है, जिसका अनावेदक की ओर से विरोध इस आधार पर किया गया है कि अनावेदक ने अनेक बार आवेदक को साथ रखने का प्रयास किया, किन्तु आवेदिका स्वयं प्रथक रह रही है।

25. आवेदिका की ओर से अनावेदक के पास सम्पत्तियाँ होने का आधार लिया है, इस संबंध में आवेदिका अमीता आ०सा० 1 के कोई कथन नहीं रहे हैं कि अनावेदक के पास कौन कौन सी सम्पत्ति चल, अचल विद्यमान है। तर्कों के दौरान यह आधार लिया है कि अनावेदक साक्षी लाडले मोहन शुक्ला अना०सा० 1 ने साक्षी के भाई दिनेश नारायण के पास वर्फ की फैंक्ट्री होने एवं गिरिजेश नारायण के पास पाइप फैंक्ट्री होना स्वीकार किया है। अनावेदक का परिवार सभ्रांत परिवार है, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी लाडले मोहनलाल शुक्ला ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि अनावेदक गोविंद के नाम से कोई चल-अचल सम्पत्ति स्थित है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि आवेदिका की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अनावेदक के पास किसी प्रकार की अच

अथवा अचल सम्पत्ति मौजूद है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अनावेदक वर्तमान में स्वयं आय अर्जित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वह मानसिक रूप से बीमार है। ऐसी स्थिति में अनावेदक कोई राशि प्रति मास आवेदिका को प्रदान कर सकता हो ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 की मंशा के अनुरूप अनावेदक से आवेदिका को स्थाई निर्वाहिका अथवा भरण पोषण दिलाए जाने के आधार व परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है।

26. परिणामतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम (आई.ए. न० 1) निरस्त किया जाता है।

27. आवेदिका की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रस्तुत किया है और यह प्रार्थना की है कि विवाह के समय जो उसे स्त्रीधन मिला था तथा जो दहेज मिला था वह सम्पूर्ण अनावेदक से दिलाया जावे, जबकि अनावेदक की ओर से अपने उत्तर में यह आधार लिया गया है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह बगैरह दान दहेज के सम्पन्न हुआ था।

28. प्रकरण में आवेदिका साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके विवाह में दान दहेज तय नहीं हुआ था और उनके पिता ने अपनी स्वेच्छया से बिना मागे कुछ सामान दिया था, किन्तु आवेदिका की ओर से विवाह के समय प्राप्त उपहार की कोई सूची अथवा दहेज की कोई सूची जो कि आवेदिका को प्राप्त हुई हो प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से विवाह के समय उपहार के रूप में जो वस्तुएं प्राप्त होने संबंधी कथन किए हैं उसके संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम (आई.ए. न० 2) स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

29. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण नकारात्मक रूप से करते हुए **सावित नहीं** के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 :-

30. आवेदिका ने अपनी याचिका में विवाह विच्छेद के जो आधार लिए हैं उन आधारों को युक्तियुक्त संभाव्यता की हद तक आवेदिका प्रमाणित करने में सफल नहीं रही है, किन्तु प्रकरण में अनावेदक स्वयं आवेदिका के साथ हुए विवाह को विच्छेदित कराने पर सहमत है और इस संबंध में उसकी ओर से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है एवं आवेदिका एवं अनावेदिका के मध्य हुए विवाह को विच्छेदित किये जाने की सहमति प्रदान कर प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष की ओर से संयुक्त रूप से प्रार्थना किए जाने पर विवाह विच्छेद की सहायता प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण **हाँ** के रूप में किया जा रहा है।

वादप्रश्न क्रमांक 04:-

31. अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अनावेदक की सहमति के आधार पर स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञा की जाती है :-

1. आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य हुआ विवाह आज निर्णय दिनांक 05.07.2017 से सहमति के आधार पर विच्छेदित किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदक आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहे हैं।
2. उभय पक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो रुपये 500/-रुपए की सीमा तक मान्य की जाती है।
तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

निर्णय आज दिनांकित हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित
किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)